कृषि विभाग
पौधा संरक्षण।
वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत ''बगीचों में समेकित कीट प्रबंधन योजना'' के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका।

यह योजना "बगीचों में समेकित कीट प्रबंधन योजना" विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 60 दिनांक 30.03.2024 से स्वीकृत है। योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 1424.56610 लाख रू0 की लागत से किया जाना है।

<u>इस योजना के तहत निम्नांकित कार्यक्रम स्वीकृत है :–</u>

I. सरजमीन सेवा के रूप में किसानों के उद्यानिक फलों यथा आम, लीची एवं अमरूद के वृक्षों पर अनुदान पर कीटनाशी का छिड़काव (कीटनाशी सहित)

II. कीट–व्याधि प्रबंधन हेतु किसानो को फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप, जैव कीटनाशी एवं रासायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी के क्रय पर अनुदान।

1. <u>योजना का मुख्य उद्देश्य :–</u>

I. किसानों को उद्यानिक फलों यथा आम, अमरूद एवं लीची के वृक्षों में कीट–व्याधि के प्रबंधन हेतु कीटनाशी का अनुशंसित मात्रा में सुरक्षित एवं ससमय छिड़काव की सुविधा चयनित सेवा प्रदाता के द्वारा उपलब्ध कराना।

II. अनाज फसलों, सब्जी तथा उद्यानिक फसलों में कीट–व्याधि, खरपतवार एवं अन्य क्षति कारकों से होने वाले क्षति कम करने हेतु पौधा संरक्षण से संबंधित उपादानों पर किसानों को अनुदान उपलब्ध कराना।

III. इस योजना से सही समय पर अनुशंसित कीटनाशक के उपचार से कृषकों के आय में तथा कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।

IV. विभिन्न फसलों में कीट/व्याधि के प्रबंधन हेतु पौधा संरक्षण के जैविक घटको के उपयोग को बढावा दिया जायेगा।

V. फसल सुरक्षा में रासायनिक कीटनाशियों को अंतिम शस्त्र के रूप में प्रयोग को बल दिया जायेगा।

2. <u>लाभार्थी कृषक का चयन</u>

I. कृषि विभाग के डी0बी0टी0 पोर्टल पर निबंधित कृषक योजना के लक्ष्य के अंतर्गत पात्र होंगे।

II. कीट–व्याधि प्रबंधन हेतु फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप एवं लाईफ टाईम ट्रैप की उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु इच्छुक कृषकों के समूह को प्राथमिकता दिया जायेगा।

III. राज्य के किसान कहीं से भी कृषि विभाग, बिहार सरकार के पौधा संरक्षण से संबंधित वेबपोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

IV. योजना के दोनो कार्यक्रम अंतर्गत लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में कृषकों का चयन जिला के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा प्राथमिकता के आधार पर "पहले आओ–पहले पाओ" के सिद्धान्त पर किया जायेगा।

3. कृषको द्वारा प्राप्त आवेदन की प्रक्रिया :–योजना के दोनो कार्यक्रम हेतु किसानों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने एवं उसके निष्पादन से संबंधित प्रक्रिया निम्नवत है।

3.1 कीट–व्याधि प्रबंधन हेतु किसानो को फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप, जैव कीटनाशी एवं रासायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी के क्रय पर अनुदान के लिए आवेदन की प्रक्रिया :–

I. वैसे कृषक जिन्हें पौधा संरक्षण उपादान की आवश्यकता है तथा उपादान के क्रय पर अनुदान प्राप्त करना चाहते है, उन्हे सर्वप्रथम www.dbtagricuture.bihar.gov.in (dbt portal) पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। तदोपरांत वे विभागीय वेबसाइट https://online dbt agriservice.bihar.gov.in/pp/index2.html पर सीधे ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

II. किसानो को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होगा :–

(क) DBT Portal से प्राप्त Registration ID.

(ख) उपादान क्रय से संबंधित कृषि समन्वयक का अनुशंसा प्रपत्र।

(ग) पौधा संरक्षण उपादान के क्रय से संबंधित विपत्र।

(घ) आवेदक का आधार कार्ड।

(ड़) स्वघोषणा पत्र (रैयत/गैर रैयत)।

III. कृषको द्वारा समर्पित ऑनलाइन आवेदन का भौतिक सत्यापन सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा प्राधिकृत कृषि समन्वयक के द्वारा तीन दिनो के अंदर करते हुए अपने डी0बी0टी लॉगइन से निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

IV. कृषि समन्वयक द्वारा अग्रसारित आवेदन के दस्तावेज की जाँच सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा प्राधिकृत कर्मी/पदाधिकारी के द्वारा करते हुए तीन दिनो के अंदर डी0बी0टी लॉगइन से निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

V. सभी आवेदनो के जाँचोपरान्त पात्र आवेदन को सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के द्वारा अपने डी0बी0टी लॉगइन से स्वीकृत किया जायेगा।

VI. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा स्वीकृत आवेदन के आधार पर किसानो को अनुदान की राशि का भुगतान P.F.M.S के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते मे अन्तरित किया जायेगा।

VII. आवेदन निष्पादन से संबंधित कर्मी के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन निष्पादित नही करने की स्थिति में आवेदन अगले स्तर पर स्वतः अग्रसारित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में उक्त कार्य का निष्पादन नही करने के लिए संबंधित कर्मी/ पदाधिकारी के विरूद्ध विधि–सम्मत् कार्रवाई, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के अनुशंसा पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इसकी सूचना कृषि निदेशक, बिहार, पटना को दी जायेगी।

VIII. पौधा संरक्षण उपादान के लिए अनुदान हेतु आवेदन के निष्पादन से संबंधित फ्लो चार्ट अनुसूची-01 के रूप में संलग्न है।

3.2 सरजमीन सेवा के रूप में उद्यानिक फलों यथा आम, लीची एवं अमरूद के वृक्षों पर अनुदान पर कीटनाशी छिड़काव हेतु आवेदन की प्रक्रिया:–

I. वैसे कृषक जिन्हें उद्यानिक फलों यथा आम, लीची एवं अमरूद के वृक्षों पर कीटनाशी छिड़काव की आवश्यकता है तथा छिड़काव हेतु अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम www.dbtagricuture.bihar.gov.in (dbt portal) पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। तदोपरांत वे विभागीय वेबसाइट https://

onlinedbtagriservice.bihar.gov.in/pp/index2.html पर सीधे ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

II. किसानो को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होगा।

(क) DBT Portal से प्राप्त Registration ID.

(ख) आवेदक का आधार कार्ड।

(ग) स्वघोषणा पत्र। (रैयत/गैर रैयत)

III. कृषको द्वारा समर्पित ऑनलाइन आवेदन का भौतिक सत्यापन सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा प्राधिकृत कृषि समन्वयक के द्वारा दो दिनो के अंदर करते हुए अपने डी0बी0टी लॉगइन से निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

IV. कृषि समन्वयक द्वारा अग्रसारित आवेदन के दस्तावेज की जाँच सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा प्राधिकृत कर्मी/पदाधिकारी के द्वारा करते हुए दो दिनो के अंदर डी0बी0टी लॉगइन से संबंधित सेवा प्रदाता को अग्रसारित करना अनिवार्य होगा।

V. संबंधित सेवा प्रदाता के द्वारा किसानों के आवेदन के अनुरूप छिड़काव करते हुए छिड़काव कार्य का विपत्र एवं जीओ टैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा।

VI. सेवा प्रदाता द्वारा अग्रसारित आवेदन के दस्तावेजों की जाँच सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा प्राधिकृत कर्मी/पदाधिकारी द्वारा करते हुए दो दिनो के अंदर निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

VII. सभी आवेदनो के जाँचोपरान्त पात्र आवेदन को सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के द्वारा अपने डी0बी0टी लॉगइन से स्वीकृत किया जायेगा।

VIII. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा स्वीकृत आवेदन के आधार पर अनुदान की राशि का भुगतान P.F.M.S के माध्यम से सीधे संबंधित सेवा प्रदाता के बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा।

IX. संबंधित कर्मी के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन निष्पादित नही करने की स्थिति में आवेदन अगले स्तर पर स्वतः अग्रसारित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में उक्त कार्य का निष्पादन नही करने के लिए संबंधित कर्मी/पदाधिकारी के विरूद्ध विधि–सम्मत् कार्रवाई, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के अनुशंसा पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इसकी सूचना कृषि निदेशक, बिहार, पटना को दी जायेगी।

X. सरजमीन सेवा के रूप में उद्यानिक फलों यथा आम, लीची एवं अमरूद के वृक्षों पर अनुदान पर कीटनाशी छिड़काव हेतु आवेदन के निष्पादन से संबंधित फ्लो चार्ट अनुसूची-02 के रूप में संलग्न है।

4. कार्यक्रमवार कार्यान्वयन हेतु अनुदेश निम्नवत है :–

4.1 उद्यानिक फलों यथा आम, लीची एवं अमरूद के वृक्षों पर सेवा प्रदाता के द्वारा कीटनाशी छिड़काव (कीटनाशी सहित) की योजना :–

I. आम के वृक्षों पर दो छिड़काव किया जाना है। प्रथम छिड़काव मंजर से पूर्व एवं द्वितीय छिड़काव मंजर के बाद की अवस्था पर कीट/व्याधि यथाः मधुआ कीट, दहिया कीट,

पाउड्री मिल्ड्यु, एन्थ्रेकनोज इत्यादि एवं फल गिरने की समस्या के प्रबंधन हेतु छिड़काव किया जाना है। एक किसान अधिकतम 112 वृक्षों (प्रति छिड़काव) पर छिड़काव के लिए अनुदान हेतु आवेदन कर सकेगें।

II. लीची के वृक्षों पर दो छिड़काव किया जाना है। लीची में मंजर से पूर्व की अवस्था तथा मंजर के बाद की अवस्था में छिड़काव किया जाना है। मंजर से पूर्व सुरक्षात्मक उपचार एवं फल छेदक, स्टोन बोरर (गुठली छिद्रक), लीची माइट एवं स्टिंक बग इत्यादि के प्रबंधन हेतु द्वितीय छिड़काव किया जाना है। एक किसान अधिकतम 84 वृक्षों (प्रति छिड़काव) पर छिड़काव के लिए अनुदान हेतु आवेदन कर सकेगें।

III. अमरूद के वृक्षों पर दो छिड़काव किया जाना है। प्रथम छिड़काव कीटों के प्रबंधन हेतु तथा द्वितीय छिड़काव व्याधि के प्रबंधन हेतु किया जाना है। एक किसान अधिकतम 56 वृक्षों (प्रति छिड़काव) पर छिड़काव के लिए अनुदान हेतु आवेदन कर सकेगें।

IV. आम, लीची एवं अमरूद के वृक्षों पर छिड़काव हेतु सेवा प्रदाता का चयन जिला स्तरीय गठित कमिटि द्वारा इच्छा की अभिव्यक्ति/ निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

V. छिड़काव में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशी सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

VI. सेवा प्रदाता द्वारा छिड़काव हेतु कीटनाशियों का चयन स्वीकृत्यादेश में वर्णित केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड (निबंधन कमिटी) CIB & (RC) द्वारा पंजीकृत कीटनाशक/फफूंदनाशक/ पादप वृद्वि नियामक का जिला में उपलब्धता के अनुसार जिला स्तरीय एडवाईजरी कमिटी यथा जिला कृषि पदाधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक, सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण एवं सहायक निदेशक उद्यान में से उपलब्ध कम से कम दो पदाधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा।

VII. सेवा प्रदाता एजेन्सी को जिला स्तर से निष्पादित इच्छा की अभिव्यक्ति/निविदा में निर्धारित छिड़काव शुल्क का 75 प्रतिशत राशि अथवा यूनिट कॉस्ट कमिटि के द्वारा अनुशंसित अधिकतम अनुदान की राशि दोनो में से जो कम हो का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	मदवार विवरणी	छिड़काव	कीटनाशी सहित छिड़काव लागत प्रति वृक्ष	अधिकतम अनुदान की राशि (रू0 में)
1.	आम	प्रथम (मंजर से पूर्व की अवस्था)	76 रू0	@ 57 रू0
2.	आम	द्वितीय (मंजर के बाद की अवस्था)	96 रू0	@ 72 रू0
3.	लीची	प्रथम (मंजर से पूर्व की अवस्था)	216 रू0	@ 162 रू0
4.	लीची	द्वितीय (मंजर के बाद की अवस्था)	152 रू0	@ 114 रू0
5.	अमरूद	कीटों के प्रबंधन हेतु	44 रू0	@ 33 रू0
6	अमरूद	व्याधियों के प्रबंधन हेतु	60 रू0	@ 45 रू0

4.2 कीट–व्याधि प्रबंधन हेतु फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप, जैव कीटनाशी एवं रासायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी के क्रय पर अनुदान :–

I. राज्य के किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप तथा 50 प्रतिशत अनुदान पर जैव कीटनाशी,रासायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

II. फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप, जैव कीटनाशी की उपयोगिता को बढाने हेतु किसानों द्वारा कलस्टर में उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

III. विभिन्न तरह के कीटों तथा व्याधियों के नियंत्रण हेतु जैव कीटनाशी एवं रासायनिक कीटनाशी, फफूंदनाशी तथा खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवारनाशियों के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। जिससे कृषक अपने खाद्यान्न फसलों, दलहन, तेलहन, सब्जी एवं उद्यानिक फलों यथा आम, लीची, अनार, अमरूद केला एवं अन्य फलदार पेड़ो में लगने वाले कीट–व्याधि का प्रबंधन कर सकेगें।

IV. सभी सब्जी एवं अनाज, दलहन फसलों में फॉल आर्मी वर्म, तम्बाकु की सुन्डी, फली छेदक कीट, तना छेदक कीट आदि के प्रबंधन हेतु फेरोमोन ट्रैप कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

V. खद्यान्न, लत्तेदार सब्जी के साथ–साथ आम, अमरूद एवं अनार एवं अन्य फलदार वृक्षो में फल सड़न के प्रबंधन के लिए फल मक्खी का लाईफ टाईम ट्रैप लगाया जायेगा।

VI. एक किसान को अधिकतम 02 हे0 तथा टाल क्षेत्र में अधिकतम 5 हे0 हेतु अनुदान देय होगा (टाल क्षेत्र की सूची अनुसूची-03 के रूप में संलग्न हैं)।

VII. कीट–व्याधि प्रबंधन हेतु फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप, जैव कीटनाशी एवं रासायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी के क्रय पर अनुदान से संबंधित विवरणी निम्नलिखित है :–

क्र0	घटक का नाम	प्रति एकड़ अधिकतम अनुदान
1	खाद्यान्न, दलहन एवं तेलहन,सब्जी फसलों के लिए फेरोमोन ट्रैप सेट (1 ट्रैप स्टैंड +3 ल्योर) @ 5 सेट प्रति एकड़, क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत या अधिकतम 90.00 रू0 प्रति सेट में जो कम हो।	450
2	खाद्यान्न,उद्यानिक फसलों फल, सब्जी एवं दलहन, तेलहन के लिए स्टिकी ट्रैप पीला एवं नीला ए–4 साइज @ 12 प्रति एकड़, क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत या अधिकतम 26.25 रू0 प्रति इकाई में जो कम हो।	315
3	उद्यानिक फसलों फल एवं सब्जियों के लिए लाईफ टाईम ट्रैप सेट (5 ट्रैप स्टैंड + 5 ल्योर) @ 5 सेट प्रति एकड़, क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत या अधिकतम 150.00 रू0 प्रति सेट में जो कम हो।	750
4	जैव कीटनाशी वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200/– रू0 प्रति एकड़, में जो कम हो।	200
5	रासायनिक कीटनाशी/फफूॅदनाशी/खरपतवारनाशी वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200/– रू0 प्रति एकड, में जो कम हो।	200

5. योजना के प्रचार–प्रसार एवं जिलों में आकस्मिक कीट नियत्रंण हेतु कन्टीजेन्सी के रूप में कुल 12.48950 लाख रू0 कर्णांकित है। स्वीकृत राशि को संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण बिहार, पटना के द्वारा आकस्मिकता के रूप में उपयोग किया जायेगा। इस मद में बुकलेट,लीफलेट, योजना संबंधित बैनर निर्माण, रेडियोजिंगल, **आकस्मिक कीटों के प्रकोप के स्थिति में आपातकालीन फंड** के रूप में जिला को उप आवंटन एवं अन्य आकस्मिकता मद में राशि का व्यय किया जायेगा।

6. **सेवा प्रदाता के चयन हेतु मापदण्ड :–**

I. आम, लीची एवं अमरूद के वृक्षों पर छिड़काव हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 अंतर्गत इच्छा की अभिव्यक्ति संख्या 01–पौ0सं0/2023 दिनांक 15.10.2023 के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2024–25 तक अपने क्षेत्राअंतर्गत छिड़काव हेतु पात्र होगे।

II. जिन जिलों में पुनः सेवा प्रदाता का चयन करने की आवश्यकता है, उन जिलों में सेवा प्रदाता का राज्य स्तर से प्रचारित इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) के द्वारा आवेदन पत्रों की मांग की जायगी। प्राप्त आवेदनों के आधार पर सेवा प्रदाता का चयन जिला स्तर पर गठित कमिटी द्वारा किया जायेगा। सेवा प्रदाता के रूप में स्थानीय कीटनाशी विक्रेता, कीटनाशी विनिर्माता, किसान उत्पाद संगठन (FPO), स्वयंसेवी संस्थान (एन0जी0ओ0), निजी संस्थान/कम्पनी आदि हो सकेंगे। EOI आमंत्रण की कार्रवाई संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा की जाएगी।

7. **सेवा प्रदाता को छिड़काव कार्य के एवज में राशि भुगतान की सामान्य प्रक्रिया :–**

I. सभी छिड़काव कार्य (कीटनाशी सहित) का 25 प्रतिशत राशि कृषकों के द्वारा सेवा प्रदाता को छिड़काव कार्य समाप्ति के उपरान्त भुगतान करना होगा एवं शेष 75 प्रतिशत राशि अभिश्रव के आधार पर विभाग द्वारा सेवा प्रदाता को कार्य के सत्यापन के उपरान्त सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के द्वारा 07 दिनों के अंदर भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

II. विभागीय वेबपोर्टल पर प्राप्त आवेदन ही छिड़काव हेतु अनुदान के लिए मान्य होंगे।

III. छिडकाव शुल्क (कीटनाशी सहित) का 75 प्रतिशत राशि सेवा प्रदाता को PFMS के माध्यम से देय होगा।

IV. सेवा प्रदाता को भुगतान के पूर्व नियमानुसार जी0एस0टी0–टी0डी0एस0 की कटौती कार्यान्वयन एजेन्सी के द्वारा की जायेगी।

8. **अन्य अनुदेश**

I. किसानों से प्राप्त आवेदन पर संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा अग्रसारण के 48 घंटे के अन्दर मौसम की स्थिति को देखते हुए छिड़काव कार्य करना अनिवार्य होगा।

II. समय सीमा के अन्दर सेवा प्रदाता द्वारा छिड़काव कार्य नहीं करने के शिकायत की सूचना सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण से मिलने पर योजना के नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना द्वारा उन्हे काली सूची में दर्ज करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जायेगा।

I. राज्य के किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप तथा 50 प्रतिशत अनुदान पर जैव कीटनाशी,रासायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

II. फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप, जैव कीटनाशी की उपयोगिता को बढाने हेतु किसानों द्वारा कलस्टर में उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

III. विभिन्न तरह के कीटों तथा व्याधियों के नियंत्रण हेतु जैव कीटनाशी एवं रासायनिक कीटनाशी, फफूंदनाशी तथा खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवारनाशियों के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। जिससे कृषक अपने खाद्यान्न फसलों, दलहन, तेलहन, सब्जी एवं उद्यानिक फलों यथा आम, लीची, अनार, अमरूद केला एवं अन्य फलदार पेड़ो में लगने वाले कीट–व्याधि का प्रबंधन कर सकेगें।

IV. सभी सब्जी एवं अनाज, दलहन फसलों में फॉल आर्मी वर्म, तम्बाकु की सुन्डी, फली छेदक कीट, तना छेदक कीट आदि के प्रबंधन हेतु फेरोमोन ट्रैप कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

V. खद्यान्न, लत्तेदार सब्जी के साथ–साथ आम, अमरूद एवं अनार एवं अन्य फलदार वृक्षो में फल सड़न के प्रबंधन के लिए फल मक्खी का लाईफ टाईम ट्रैप लगाया जायेगा।

VI. एक किसान को अधिकतम 02 हे0 तथा टाल क्षेत्र में अधिकतम 5 हे0 हेतु अनुदान देय होगा (टाल क्षेत्र की सूची अनुसूची-03 के रूप में संलग्न है)।

VII. कीट–व्याधि प्रबंधन हेतु फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप, जैव कीटनाशी एवं रासायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी के क्रय पर अनुदान से संबंधित विवरणी निम्नलिखित है :–

क्र0	**घटक का नाम**	**प्रति एकड़ अधिकतम अनुदान**
1	खाद्यान्न, दलहन एवं तेलहन,सब्जी फसलों के लिए फेरोमोन ट्रैप सेट (1 ट्रैप स्टैंड +3 ल्योर) @ 5 सेट प्रति एकड़, क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत या अधिकतम 90.00 रू0 प्रति सेट में जो कम हो।	450
2	खाद्यान्न,उद्यानिक फसलों फल, सब्जी एवं दलहन, तेलहन के लिए स्टिकी ट्रैप पीला एवं नीला ए–4 साइज @ 12 प्रति एकड़, क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत या अधिकतम 26.25 रू0 प्रति इकाई में जो कम हो।	315
3	उद्यानिक फसलों फल एवं सब्जियों के लिए लाईफ टाईम ट्रैप सेट (5 ट्रैप स्टैंड + 5 ल्योर) @ 5 सेट प्रति एकड़, क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत या अधिकतम 150.00 रू0 प्रति सेट में जो कम हो।	750
4	जैव कीटनाशी वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200/– रू0 प्रति एकड़, में जो कम हो।	200
5	रासायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200/– रू0 प्रति एकड, में जो कम हो।	200

III. सेवा प्रदाता द्वारा छिड़काव शुल्क (कीटनाशी सहित) का (सेवा कर/जी0एस0टी सहित, जो लागु हो) अभिश्रव किसानों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा साथ ही उक्त अभिश्रव की एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

IV. सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत अभिश्रव पर किसान का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान होना आवश्यक होगा।

V. भौतिक सत्यापन के उपरान्त किसान से हस्ताक्षर युक्त अभिश्रव एव छिड़काव कार्य का Geo Tag फोटो को सेवा प्रदाता द्वारा डी0बी0टी0 पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जायेंगा।

VI. छिड़काव कार्य सम्पादित होने के 24 घंटे के अन्दर संबंधित पंचायत के कृषि कर्मी/पौधा संरक्षण कर्मी के द्वारा छिड़काव कार्य क्षेत्र का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदित करेगें।

VII. कीटनाशी अधिनियम एवं नियमावली के तहत एवं विभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में छिड़काव संबंधित सावधानियों का अनुपालन सेवा प्रदाता द्वारा करना अनिवार्य होगा।

VIII. सभी सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा UCO बैंक में पूर्व में संधारित Single Nodal Agency (SNA) के child Account खोलते हुए/खोले गये बैंक खाता को पी0एफ0एम0एस0 से मैपिंग कराना अनिवार्य होगा।

IX. सेवा प्रदाता द्वारा उद्यानिक फलों आम, लीची एवं अमरूद पर छिड़काव कार्य में अनुशंसित कीटनाशक/फफूंदनाशक/पादप वृद्वि नियामक यथा ईमिडाक्लोप्रिड 17.8%SL, डायमेथोएट 30% EC,सल्फर 80%WG, हेक्साकोनाजोल 5%SC,नेफथलीन एसीटीक एसीड 4.5% SL, प्रोपरजाईट 57%EC, साइपरमेथ्रिन 25%EC, थायोफिनेट मिथाईल70%WP, माईकोबुटानिल10%WP, थायोमिथौकजम 25%WG, कॉपरआक्सी क्लोराईड 50%WP, कार्बेन्डाजिम 50%WP, मैन्कोजेब75% WP, इमामेक्टीन बेंजोएट5%SG या CIB&RC द्वारा पंजीकृत एवं अनुशंसित कीटनाशको की जानकारी किसानो को देकर छिड़काव कार्य हेतु उपयोग किया जायेगा।

X. छिड़काव की गुणवत्ता की जॉच हेतु सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के द्वारा कीटनाशियों का नमूना संग्रहण सेवा प्रदाता के प्रतिष्ठान से संग्रहित कर कीटनाशी जॉच हेतु प्रयोगशाला में भेजना सुनिश्चित करेगें।

XI. वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट उपबंध के अनुसार सामान्य वर्ग में 78.6 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग में 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में 1.4 प्रतिशत राशि कर्णांकित है। तद्नुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि किया जाना है।

XII. पौधा संरक्षण उपादान वितरण से लाभान्वित कृषकों को अनुदान की राशि PFMS के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा।

XIII. खरीफ मौसम के लिए स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त नही होने की स्थिति में खरीफ मौसम के लिए प्रावधानित पौधा संरक्षण उपादान वितरण कार्यक्रम में स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का उपयोग संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 की समाप्ति तक किया जा सकेगा।

XIV. योजना के सभी घटको से संबंधित अनुसूची स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न है। सभी कार्यान्वयन एजेन्सी स्वीकृत्यादेश के अनुसूची के अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति करना सुनिश्चित करेगें।

9. कर्मियों एवं पदाधिकारियों का दायित्व

9.1 कृषि समन्वयक

I. योजना के कार्यन्वयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन करना।
II. किसानों को पौधा सरंक्षण से संबंधित उपादान के उपयोग एवं लाभ के बारे में जानकारी देना।
III. इच्छुक कृषकों को उपादान क्रय हेतु उपवांटित वित्तीय लक्ष्य के अधीन अनुशंसा प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रेरित करना।
IV. किसानो से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित आवश्यक उपादान क्रय/उपयोग का स्थलीय जाँच कर पौधा संरक्षण कार्यालय को अग्रसारित करना।
V. आवेदन में अंकित खेती योग्य जमीन का रकवा/मालिकाना हक (रैयत/गैर रैयत) का जॉच करना।
VI. लाभार्थी के आवेदन को मार्गदर्शिका के शर्तो के अनुरूप स्वीकृत/ अस्वीकृत करना।
VII. पौधा संरक्षण उपादान की उपयोगिता का सत्यापन कर प्रतिवेदित करना।
VIII. फलदार वृक्षों यथा आम, लीची एवं अमरूद के वृक्षों पर छिड़काव हेतु किसानों के आवेदन का ससमय सत्यापन करते हुए ऑनलाइन अग्रसारित करना।
IX. सेवा प्रदाता द्वारा छिड़काव कार्य का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदित करना।

9.2 प्रखंड कृषि पदाधिकारी

I. पौधा संरक्षण से संबंधित योजनाओं का सघन रूप से पर्यवेक्षण करना।
II. पौधा संरक्षण योजना के संचालन से संबंधित कोई भी अनियमितता प्राप्त होने की स्थिति में अविलम्ब सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण को सूचित करना।
III. किसानों द्वारा पौधा संरक्षण उपादान एवं सरजमीन सेवा से संबंधित ऑनलाइन आवेदन के निष्पादन से संबंधित कृषि समन्वयक का समीक्षा करना तथा कृषि समन्वयक द्वारा स्वतः अग्रसारित आवेदन होने की स्थिति में सबंधित कर्मी के विरूद्व कार्रवाई की अनुशंसा करना।
IV. प्रखंड का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करना।
V. मार्गदर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित करना।

9.4 पौधा संरक्षण निरीक्षक

I. अपने क्षेत्राधीन प्रखंडों में चलने वाले पौधा संरक्षण योजनाओं का सघन पर्यवेक्षण करना।
II. पौधा संरक्षण उपादान यथा फरोमोन ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप एवं स्टिकी ट्रैप के उपयोग एवं इससे होने वाले लाभ के बारे में कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार करना एवं इच्छुक कृषकों का समूह तैयार करना।
III. योजना का शत प्रतिशत का उपलब्धि प्राप्त करने में सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, का सहयोग करना।

9.5 सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण

I. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेन्सी होगें। उनके द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए आवंटित लक्ष्य को प्रखण्डवार उपावंटित कर कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार हेतु प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार/पौधा संरक्षण कर्मी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

II. इस योजना अन्तर्गत निकासी एवं व्यय की गयी राशि का अलग रोकड़ पंजी संधारित किया जाएगा। जिसकी प्रविष्टि मुख्य रोकड़ पंजी में भी किया जाएगा।

III. योजना के क्रियान्वयन हेतु लाभुकों के चयन में पंचायती राज संस्थाओं की यथा सम्भव सहभागिता सुनिश्चित किया जायेगा।

IV. योजना का शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करना संबंधित सहायक निदेशक पौधा संरक्षण की जिम्मेवारी होगी।

V. पौधा संरक्षण उपादान के आवेदन की अनुपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्ति हेतु जिला के कुल स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य के अधीन प्रखंडो के लिए निर्धारित लक्ष्य में अन्तर परिर्वतन/संशोधन किया जा सकेगा।

VI. आम, लीची एवं अमरूद के वृक्षों पर छिड़काव हेतु आवेदन प्रखंड स्तर पर लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त होने की स्थिति में सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा पंचायत स्तर पर न्यूनतम 25 वृक्षों पर छिड़काव की मॉग वाले पंचायत का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

VII. किसानों द्वारा पौधा संरक्षण उपादान यथा फेरोमोन ट्रैप, लाईफ टाइम ट्रैप, स्टिकी ट्रैप (पीला एवं नीला), जैविक कीटनाशी एवं रासायनिक कीटनाशी/फफूँदनाशी/खरपतवारनाशी के क्रय हेतु अनुज्ञप्तिधारी बिक्रेताओं का चयन प्रखण्ड एवं अनुमंडल स्तर पर ससमय सहायक निदेशक पौधा संरक्षण द्वारा किया जाएगा।

VIII. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा योजना समाप्ति के उपरांत कार्यक्रम में लाभुकों की सूची को Google docपर भेजते हुए संयुक्त निदेशक पौधा संरक्षण कार्यालय को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी भेजना सुनिश्चित की जायेगी।

IX. योजनान्तर्गत अधीनस्थ जिलों के लक्ष्य का कम से कम 20 (बीस) प्रतिशत निरीक्षण सहायक निदेशकपौधा संरक्षण के द्वारा किया जायेगा।

X. फेरोमोन ट्रैप, लाईफ टाइम ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, जैविक कीटनाशी एवं रासायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी/ खरपतवारनाशी के क्रय पर अनुदान के लिए सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/क्षेत्र परिचालक/कामदार/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार की प्रतिनियुक्ति सम्बद्व विक्रेता प्रतिष्ठान पर की जायेगी, जिनके उपस्थिति में चयनित/सम्बद्व प्रतिष्ठान के द्वारा विभिन्न घटकों का वितरण किया जायेगा।

XI. सहायक निदशक, पौधा संरक्षण/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए संधारित बैंक खाता एवं लेखा का समुचित संधारण किया जायेगा।PFMSके माध्यम से राशि की निकासी एवं राशि का अंतरण किया जायेगा।

9.6 उप निदेशक, पौधा संरक्षण

I. प्रमंडल स्तरीय उप निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा अपने क्षेत्राधीन जिलों में योजना का सघन पर्यवेक्षण एवं योजनान्तर्गत अधीनस्थ जिलों के लक्ष्य का 5 (पाँच) प्रतिशत निरीक्षण किया जायेगा।

II. योजनान्तर्गत अधीनस्थ जिलों के कार्यान्वयन एजेन्सी को भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का निराकरण हेतु प्रमंडलीय उप निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा आवश्यक पहल/कार्रवाई किया जाएगा।

III. अधीनस्थ जिलों के कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि में पिछड़ने पर संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पौधा संरक्षण भी उसके लिए समान रूप से जवाबदेह होंगे।

9.7 संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना

I. बगीचों में समेकित कीट प्रबंधन योजनाके सफल संचालन हेतु संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना द्वारा स्वयं सघन पर्यवेक्षण एवं निगरानी किया जायेगा।

II. संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना के स्तर से लीफलेट/पम्पलेट/अन्य प्रचार प्रसार सामग्री मुद्रित कराकर ससमय संबंधित जिले को उपलब्ध कराई जायेगी।

III. संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना के स्तर से लक्ष्य की प्रतिपूर्ति नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रधान के विरूद्व आवश्यक कार्रवाई किया जा सकेगा।

IV. बगीचों में समेकित कीट प्रबंधन योजनाके राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार पटना एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होगें।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना अंतर्गत घटकों के कार्यान्वयन उपरान्त सत्यापित अभिश्रव प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर संबंधित कृषक/आपूतिकर्ताओं/ सेवा प्रदाता एजेन्सी को भुगतान करना सुनिश्चित करेगें। इस वर्ष की देयता का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में नहीं किया जाएगा। इसके बाबजूद भी यदि देयता की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित जिला के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

11. सभी सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण एवं उप निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा अपने प्रमंडल/जिला का योजना संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पांचवी तारीख तक राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में संयुक्त निदशकपौधा संरक्षण, बिहार,पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

अनुसूची –01

वित्तीय वर्ष 2024–25 में बगीचो में समेकित कीट प्रबंधन योजना अंतर्गत कीट–व्याधि प्रबंधन हेतु किसानो को फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप, जैव कीटनाशी एवं रासायनिक कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी के क्रय पर अनुदान हेतु आवेदन का फ्लो चार्ट

फ्लो चार्ट

स्तर	की जाने वाली कार्रवाई	समय अवधि
किसान	➢ डी0बी0टी0 पोर्टल पर पंजीकृत किसान द्वारा आवेदन। ➢ रैयत किसान द्वारा जमीन का रसीद एवं गैर रयत द्वारा स्वं घोषणा पत्र एवं आधार कार्ड अपलोड। ➢ उपादान क्रय संबंधित विपत्र (रसीद एवं कैश मेमौ) अपलोड। ➢ कृषि समन्वयक का अनुशंसा प्रपत्र।	पोर्टल खुला रहने तक
कृषि समन्वयक	किसान के आवेदन एवं उपादान क्रय का भौतिक सत्यापन।	03 दिन
सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण का कार्यालय	उपादान क्रय संबंधित विपत्र, अभिलेख एवं राशि का सत्यापन ।	03 दिन
सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत	03 दिन

अनुसूची –02

वित्तीय वर्ष 2024–25 में बगीचो में समेकित कीट प्रबंधन योजना अंतर्गत सरजमीन सेवा के रूप में आम, लीची एवं अमरूद के वृक्षों पर छिड़काव हेतु आवेदन का फ्लो चार्ट

फ्लो चार्ट

स्तर	की जाने वाली कार्रवाई	समय अवधि
किसान	➢ डी0बी0टी0 पोर्टल पर पंजीकृत किसान द्वारा आवेदन ➢ रैयत किसान द्वारा जमीन का रसीद एवं गैर रयत द्वारा स्वं घोषणा पत्र अपलोड। ➢ कृषि समन्वयक का अनुशंसा प्रपत्र।	पोर्टल खुला रहने तक
कृषि समन्वयक	किसान का सत्यापन एवं वृक्षों की संख्या का भौतिक सत्यापन।	02 दिन
सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण का कार्यालय	संबंधित प्रखंड के चयनित सेवा प्रदाता को आवेदन अग्रसारण।	02 दिन
सेवा प्रदाता	➢ छिड़काव कार्य का सम्पादन। ➢ सेवा प्रदाता एवं किसान द्वारा हस्ताक्षरित विपत्र अपलोड। ➢ Geo Tagged photo upload .	02 दिन
सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण का कार्यालय	छिड़काव शुल्क संबंधित विपत्र, अभिलेख एवं राशि का सत्यापन।	02 दिन
सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत	02 दिन

अनुसूची – 03

कार्यालयः– संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना।

क्र0सं0	टाल जिला	क्र0सं0	प्रखंड	अभिुक्ति
1	2		3	4
1	पटना	1	फतुहॉ	
		2	दनियॉवा	
		3	खुसरूपुर	
		4	बखतीयारपुर	
		5	पंडारक	
		6	बाढ	
		7	अठमलगोला	
		8	मोकामा	
		9	बेलछी	
		10	घोसवरी	
2	नालन्दा	1	बिहारशरीफ	
		2	हिलसा	
		3	ईसलामपुर	
		4	कतरीसराय	
		5	राजगीर	
		6	नूरसराय	
		7	वेन	
		8	चण्डी	
		9	एकंगरसराय	
		10	अस्थावॉं	
		11	रहुई	
		12	बिन्द	
		13	परवलपुर	
		14	थरथरी	
		15	सिलाव	
		16	गिरियक	
		17	सरमेरा	
		18	हरनौत	
		19	करायपरशुराय	
		20	नगरनौसा	
3	मुगेंर	1	दरहरा	
		2	जमालपुर	
		3	बैरापुर	
		4	हवेली खड़गपुर	
4	भागलपुर	1	पिरपैंती	
		2	कहलगॉंव	
		3	सबौर	
		4	नाथनगर	
		5	सुल्तानगंज	
5	शेखपुरा	1	शेखपुरा	
		2	घाट कुशुम्भा	
6	लखीसारय	1	लखीसराय	
		2	बड़हिया	
		3	सूर्यगढ़ा	

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण,
बिहार, पटना